

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2020

No. 34/2020—Central Tax

G.S.R. 234(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:—

In the said notification,–

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020.”;

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:–

“Provided that the said persons shall furnish the return in **FORM GSTR-4** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/04/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 21/2019-Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and was subsequently amended by notification No. 74/2019-Central Tax, dated the 26th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 953(E), dated the 26th December, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2020

सं. 35/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 235(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, भारत सहित दुनिया के कई देशों में महामारी कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर परिषद की सिफारिशों पर यह अधिसूचित करती हैं कि –

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो मार्च, 2020 के 20^{वें} दिन से जून, 2020 के 29^{वें} दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा जून, 2020 के 30^{वें} दिन तक बढ़ा दी जाएगी-

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान्, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;